रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022024-251689
CG-DL-E-01022024-251689

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 71] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 31, 2024/माघ 11, 1945
No. 71] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 31, 2024/MAGHA 11, 1945

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2024

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2024

सं. आई.बी.बी.आई./2023-24/जी.एन./आर.ई.जी.107.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 2 के खंड (ङ) के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) तथा धारा 240 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2019 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2019 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) के विनियम 4 के उप-विनियम (1) के स्पष्टीकरण के खंड (i) में,

(i) उप-खंड (क) में, "सहयोगी नहीं है;" शब्दों और चिह्न के पश्चात् "और" शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा।

(ii) उप-खंड (ख) में, ";" चिह्न के स्थान पर "।" चिह्न रखा जाएगा ।

(iii) उप-खंड (ग) का लोप किया जाएगा ।

3. मूल विनियमों में, विनियम 17 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"17क. लेनदारों की बैठक

समाधान व्यावसायिक, धारा 105 में यथा-उल्लिखित प्रतिदाय योजना, लेनदारों की एक बैठक में उसके विचारार्थ रखेगा ।

परन्तु जहां धारा 106 के अधीन यथा-नियत ऐसी अवधि के भीतर कोई प्रतिदाय योजना प्राप्त नहीं हुई है वहां समाधान व्यावसायिक उसे लेनदारों की एक बैठक में अधिसूचित करेगा ।"

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./725/2023-24]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2019, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 413, तारीख 20 नवम्बर, 2019 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.050, तारीख 20 नवम्बर, 2019 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2024

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) (Amendment) Regulations, 2024

No. IBBI/2023-24/GN/REG107.—In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196, section 240 read with clause (e) of section 2 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Regulations, 2019, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) (Amendment) Regulations, 2024.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Regulations, 2019 (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), in regulation 4, in sub-regulation (1), in Explanation, in clause (i),

   (i) in sub-clause (a), after the word and mark "guarantor;", the word "and" shall be inserted.

   (ii) in sub-clause (b), for the mark and word "; and", the mark "." shall be substituted.

   (iii) sub-clause (c) shall be omitted.

3. In the principal regulations, after regulation 17, the following shall be inserted namely: -

   "17A. Meeting of the creditors.

   The resolution professional shall place the repayment plan as mentioned under section 105 in a meeting of the creditors for its consideration.

   Provided that where no repayment plan has been received within such period as stipulated under section 106, the resolution professional shall notify the same in a meeting of creditors."

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./725/2023-24]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Regulations, 2019 were published *vide* Notification No. IBBI/2019-20/GN/REG050, dated 20th November, 2019 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 413 on 20th November, 2019

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.02.01 18:55:10 +05'30'